



# प्रेस नोट थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर



**सरहानीय कार्य दिनांक 28.12.25**

**जनपदीय SOG, सर्विलांस सेल व थाना रोजा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना रोजा क्षेत्रान्तर्गत शराब की दुकान में चोरी व थाना सिंधौली क्षेत्रान्तर्गत सर्राफा की दुकान से चोरी करने वाले 03 अभियुक्तगण को चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार ।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार , अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में तथा जनपदीय SOG, सर्विलांस सेल व थाना रोजा पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 18.12.25 को वादी द्वारा थाना रोजा पर दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 651/25 धारा 305,331(4) बीएनएस 2023 बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मुकरमपुर स्थित शराब की देशी शराब की दूकान से रात्रि में सटर काटकर अन्दर रखी 89 पेटी शराब के पौवे चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 17.12.25 को वादी द्वारा थाना सिंधौली पर दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 479/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस-2023 बाबत अज्ञात चोरों द्वारा सर्राफे की दुकान से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया था ।

दिनांक 27.12.25 को अभियुक्त 1.रविन्द्र पुत्र गजेन्द्रपाल निवासी ग्राम धमोरा थाना भमोरा, जनपद बरेली 2.शहनूर पुत्र अलीदराज निवासी ग्राम हथौडा बुजुर्ग, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर 3.आरिस पुत्र जान मोहम्मद निवासी ग्राम हथौडा बुजुर्ग, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर को मुकरमपुर से उदियापुर जाने वाले रास्ते पर समय 23.55 बजे पर मय 2100 देशी शराब पौवे (सोलजर मार्का), 01 बैटरा, 01 शब्बल तथा अभियुक्तों की निशादेही पर थाना सिंधौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 479/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस-2023 से सम्बन्धित चोरी किये गये सामान में से 12 जोड़ी पायल सफेद धातु, 05 सिक्के, 02 घंटा सफेद धातु, 4500/- नकद एवं 01 गले का हार, 01 चैन मय लॉकेट, 02 जोड़ी कुण्डल, 03 जोड़ी वाली, 03 जोड़ी फूल पीली धातु सहित गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के विरुद्धा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

## **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण**

रविन्द्र पुत्र गजेन्द्रपाल उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम धमोरा, थाना भमोरा, जनपद बरेली ।

शहनूर पुत्र अलीदराज उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम हथौडा बुजुर्ग, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।

आरिस पुत्र जान मोहम्मद उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम हथौडा बुजुर्ग, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।

## **पंजीकृत अभियोग**

मु0अ0सं0 651/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस-2023 व 60(1) आबकारी अधि0 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर ।

मु0अ0सं0 479/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस-2023 थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर ।

## **गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान**

दि0 27.12.2025 समय 23.55 बजे , मुकरमपुर से उदियापुर जाने वाले रास्ते से ।

## **बरामदगी का विवरण:-**

**थाना रोजा से सम्बन्धित** - 2100 देशी शराब पच्चे (सोलजर मार्का) एक बैटरा, एक शब्बल

**थाना सिंधौली से सम्बन्धित** - 12 जोड़ी पायल सफेद धातु, 05 सिक्के, 02 घंटा सफेद धातु, 4500/- नकद एवं 01 गले का हार, 01 चैन मय लॉकेट, 02 जोड़ी कुण्डल, 03 जोड़ी वाली, 03 जोड़ी फूल पीली धातु

## **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास**

### **अभियुक्त रविन्द्र**

अ0सं0 651/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस-2023 व 60(1) आबकारी अधि0 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 446/25 धारा 305(ए) बीएनएस-2023 थाना आंवला, जनपद बरेली।

अ0सं0 479/25 धारा 305(ए) बीएनएस-2023 थाना आंवला, जनपद बरेली।

अ0सं0 423/20 धारा 379/411/420 भादवि थाना भमोरा, जनपद बरेली।

अ0सं0 339/23 धारा 307 भादवि थाना भमोरा, जनपद बरेली।

अ0सं0 340/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना भमोरा, जनपद बरेली।

अ0सं0 289/25 धारा 305, 317(2), 331(4) थाना भमोरा, जनपद बरेली।

अ0सं0 433/20 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना भुता, जनपद बरेली।

अ0सं0 239/25 धारा 305, 317(2), 317(4), 331(4) बीएनएस-2023 थाना कैण्ट, जनपद बरेली।

अ0सं0 297/25 धारा 62, 303(2) बीएनएस-2023 थाना कैण्ट जनपद बरेली।

अ0सं0 397/25 धारा 109, 3(5) बीएनएस-2023 व 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना कैण्ट, जनपद बरेली।

अ0सं0 326/20 धारा 380, 457 भादवि थाना फरीदपुर, जनपद बरेली।

अ0सं0 426/20 धारा 380, 457 भादवि थाना फरीदपुर, जनपद बरेली।

अ0सं0 511/15 धारा 2(बी)(II)/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अलापुर, जनपद बदायुँ।

अ0सं0 325/23 धारा 380, 457, 411 भादवि थाना कटरा, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 173/21 धारा 380, 457 भादवि थाना मदनापुर, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 273/21 धारा 307, 398, 401 भादवि थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 274/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 378/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 80/2013 धारा 379, 411 भादवि थाना मुजरिया, जनपद बदायुँ।

अ0सं0 70/13 धारा 379, 411 भादवि थाना भमौरा, जनपद बरेली।

अ0सं0 479/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस-2023 थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

### **अभियुक्त शहनूर**

अ0सं0 651/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस-2023 व 60(1) आबकारी अधि0 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 530/25 धारा 352, 351(3), 333, 115(2) बीएनएस-2023 व 3(1)द, ध SC/ST ACT थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 89/22 धारा 363, 376, 504 भादवि व 3(2)(v) SC/ST ACT व 3/4 POCSO ACT थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 263/21 धारा 504, 506 भादवि व 3(1)द, ध SC/ST ACT थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 407/19 धारा 323 भादवि थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 544/25 धारा 3/7 EC ACT थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 479/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस-2023 थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

## अभियुक्त आरिस

अ0सं0 651/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस-2023 व 60(1) आबकारी अधि0 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 283/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 857/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।

अ0सं0 479/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस-2023 थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

## पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि साहब दिनांक 18.12.2025 की रात्रि में मुकरमपुर चौराहे के पास देशी शराब की दुकान की दीवार को काटकर उसमें से करीब 48 पेट्टी व 01 बैटरा चोरी किये थे। चोरी करने के बाद हमने चुराये गये माल को नहर में पानी न होने के कारण पास में ही गद्दा खोदकर दबा दिये थे। आज हल्का हल्का पानी नहर में आ रहा था। जिस कारण पेट्टिया गलने से पौवे बह ना जाये इसलिए पौवे व बैटरा को निकालकर सड़क पर रख लिया था तथा सवारी के आने के इंतजार में थे कि तभी आप लोगो ने पकड़ हमें लिया तथा थाना सिंधौली में दिनांक 16/17.12.25 की रात्रि समय करीब 12.30 बजे हम तीनों सुनार की दुकान में चोरी के इरादे से शहनूर की मोटरसाइकिल से शाहजहाँपुर – पुवांया रोड पर कस्बा सिंधौली में गये थे। उस रात्रि में बहुत अधिक कोहरा पड़ रहा था अपनी बाईक को दूर खड़ी करके सिंधौली अड्डे से अन्दर गये तथा एक सुनार की दुकान के शटर को साईड से सब्बल फसाकर शटर को खोलने का प्रयास किया था लेकिन शटर नहीं खुल पाया था। इसके बाद दूसरी दुकान का साईड वाला छोटा शटर सब्बल से ताला/कुण्डा तोड़कर खोला तो वह दुकान कपडे की होना पायी गयी थी तो उसमें नहीं घुसे थे। इसके बाद तीसरी दुकान जो कोने की दुकान थी, उसमें दो शटर लगे थे। रास्ते के सामने वाले शटर पर लोहे का चैनल लगा था लेकिन खाली जगह की तरफ वाले शटर पर चैनल नहीं लगा था, उसे एक साईड से लोहे का सब्बल डालकर खोल दिया था, तथा दुकान में अन्दर घुसकर सुनार की कोने में रखी छोटी अलमारी को सब्बल से खोलकर/तोड़कर उसमें रखे 10-15 पाजेब चाँदी जैसी तथा 5-7 जेवर सोने जैसे चोरी किये थे। इसके अलावा इसी सुनार की दुकान में कुछ रुपये नकद भी मिले थे जो 20-25 हजार रहे होंगे। यह चोरी करने के बाद हम तीनों जब कस्बे की तरफ जाने लगे तो रास्ते में अंग्रेजी व देशी शराब की दुकान आस-पास मिली थी इसलिए शराब निकालने के लिए उक्त दुकानों के शटर तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन शटर नहीं खुल पाया था तथा देशी शराब की दुकान में कोई व्यक्ति जाग गया था तब हम वहाँ से वापस भाग आये थे अभियुक्तगणों द्वारा अपनी निशादेही पर रिंग रोड से मोहम्मदी रोड की तरफ भट्टे से आगे बड़ी छोटी नहर के आगे जमीन से निकालकर बरामद किया गया।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्र0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी SOG मय टीम

उ0नि0 श्री मनोज कुमार सर्विलांस टीम प्रभारी मय टीम

प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार थाना रोजा

उ0नि0 श्री सागर थाना रोजा

उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम, थाना रोजा

हे0का0 30 शिवपूजन सिंह, थाना रोजा

हे0का0 216 यासीन खाँ, थाना रोजा

का0 2227 अरुण तोमर, थाना रोजा

का0 1782 सचिन कुमार, थाना रोजा

का0 1169 कपिल कुमार थाना रोजा